भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-228
सोमवार, 3 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक)

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन
योजना

228. डॉ॰ कलानिधि वीरास्वामीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की विशेषताएं क्या हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित देश भर में इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और प्रयुक्त निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान तमिलनाडु सहित देश भर में इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(घ) निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है;
(ङ) क्या तमिलनाडु सहित देश के भीतर इस योजना के अंतर्गत सरकार की जानकारी में धोखाधड़ी के मामले आए हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (च): रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत, सरकार ने ईपीएफओ में पंजीकृत नए कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) दोनों के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के 12% (अथवा समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) अंशदान का भुगतान किया था। योजना 15,000 रुपए प्रतिमाह तक अर्जित करने वाले कर्मचारियों हेतु लक्षित है। इस योजना का दोहरा लाभ है, जहां, एक ओर नियोक्ताओं को प्रतिष्ठान में कामगारों के रोजगार आधार को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं, दूसरी ओर इन कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच बनेगी। पीएमआरपीवाई के तहत प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी।

भारत भर में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएमआरपीवाई योजना के तहत कुल आवंटित एवं उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	ईपीएफओ को जारी राशि (रुपए करोड़ में)	ईपीएफओ द्वारा संवितरित राशि (रुपए करोड़ में)
2016-17	**167.69**	**2.58**
2017-18	**470.25**	**491.96**
2018-19	**3493.88**	**3870.88**
2019-20 जनवरी., **2020** को (**27.01.2020** तक)	**3400.00**	**2996.18**

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में तमिलनाडु सहित देश भर में पीएमआरपीवाई योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या के ब्यौरे अनुबंध-।, ।। एवं ।।। में संलग्न हैं। 31.03.2019 की अंतिम तिथि के उपरांत प्रतिष्ठानों के माध्यम से कोई कर्मचारी पंजीकृत नहीं किया गया।

ईपीएफओ के उडुपी कार्यालय द्वारा एक मामला रिपोर्टित किया गया था जिसमें एक प्रतिष्ठान झूठे ब्यौरे प्रदान करके ईपीएफएंडएमपी अधिनियम, 1952 के तहत पंजीकृत हुआ था। परिणामस्वरूप, संस्थान की कोड संख्या को निष्क्रिय कर दिया गया है और इस संबंध में ईपीएफओ ने नियोक्ता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी है। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान के सदस्यों को भी निष्क्रिय के रूप में चिन्हित किया गया है।

<u>**अनुबंध-I**</u>

लोक सभा के दिनांक 03.02.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 228 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमआरपीवाई 01.04.2016 से 31.3.2017	
राज्य	**01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 की अवधि के दौरान पंजीकृत कर्मचारी**
आंध्र प्रदेश	1495
असम	18
बिहार	38
चंडीगढ़	164
छत्तीसगढ	450
दिल्ली	1260
गोवा	46
गुजरात	16849
हरियाणा	3463
हिमाचल प्रदेश	499
झारखंड	167
कर्नाटक	6200
केरल	2690
मध्य प्रदेश	268
महाराष्ट्र	4531
ओडिशा	123
पंजाब	1747
राजस्थान	554
तमिलनाडु	**6503**
उत्तर प्रदेश	2240
उत्तराखंड	1526
पश्चिम बंगाल	2303
कुल	**53134**

<u>अनुबंध- II</u>

लोक सभा के दिनांक 03.02.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 228 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमआरपीवाई 01.04.2017 से 31.3.2018	
राज्य	**01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान पंजीकृत कर्मचारी**
आंध्र प्रदेश	379237
असम	3429
बिहार	49452
चंडीगढ़	38967
छत्तीसगढ	36793
दिल्ली	235822
गोवा	2910
गुजरात	376185
हरियाणा	328264
हिमाचल प्रदेश	49120
झारखंड	15824
कर्नाटक	398873
केरल	74796
मध्य प्रदेश	123076
महाराष्ट्र	796035
ओडिशा	52926
पंजाब	75735
राजस्थान	153614
तमिलनाडु	**432641**
उत्तर प्रदेश	304306
उत्तराखंड	104416
पश्चिम बंगाल	118143
कुल	**4150564**

<u>अनुबंध- III</u>

लोक सभा के दिनांक 03.02.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 228 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमआरपीवाई 01.04.2018 से 31.3.2019	
राज्य	**01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान पंजीकृत कर्मचारी**
आंध्र प्रदेश	716601
असम	8915
बिहार	87610
चंडीगढ़	176595
छत्तीसगढ	115325
दिल्ली	655792
गोवा	26598
गुजरात	853802
हरियाणा	776635
हिमाचल प्रदेश	102653
झारखंड	68646
कर्नाटक	962553
केरल	147243
मध्य प्रदेश	265181
महाराष्ट्र	1686311
ओडिशा	109592
पंजाब	140144
राजस्थान	365141
तमिलनाडु	**1173616**
उत्तर प्रदेश	629804
उत्तराखंड	231316
पश्चिम बंगाल	287278
कुल	**9587351**